प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्षः माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 267/2001

नवाधर प्रसाद राठौड़

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

मैं सहमत हूँ

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

दिनांक 8/3/2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 267/2001

समक्ष: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

अपीलार्थी नवाधर प्रसाद राठौड़, पिता जगतराम राठौड़, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम खमिहा कचांडा बाराद्वार, जिला जांजगीर-चांपा, वर्तमान में निवासी एम.डी./237, दीपिका कॉलोनी, थाना कुसमुंडा, जिला कोरबा

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य

(दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री बी.एन. नंदे, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 8 मार्च, 2010 को पारित किया गया)

1. इस अपील में षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 335/2000 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश दिनांक 31/1/2001 को चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत विद्वान षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को मृतका लक्ष्मीन बाई की आपराधिक मानव वध के लिए सिद्धदोष ठहराते हुए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि पाया गया तथा उसे आजीवन कारावास एवं ₹2000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त निर्धारित किया गया।

2. इस दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार यह है कि न्यायालय ने पर्याप्त, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को सिद्धदोष पाया है और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि मृतका लक्ष्मीन बाई, जो अपीलार्थी की पत्नी थी, दीपिका कॉलोनी, जिला कोरबा स्थित उनके घर में अपने पति के साथ रह रही थी। पति-पत्नी के संबंध मधुर नहीं थे। यहां तक कि वर्ष 1996–97 में मृतका ने अपने पति के दुर्व्यवहार एवं मारपीट के संबंध में थाने में रिपोर्ट (प्र.पी./24, प्र.पी./25, प्र.पी./26 एवं प्र.पी./27) दर्ज कराई थी। दिनांक 14.06.2000 की दुर्भाग्यपूर्ण रात लगभग 9 बजे की है जब अपीलार्थी दीपिका कॉलोनी, जिला कोरबा स्थित अपने घर में मौजूद था। मृतका लक्ष्मीन बाई बेडरूम में आई और पति से विवाद करने लगी। झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने हथौड़े से पत्नी लक्ष्मीन बाई के माथे एवं कनपटी पर वार किया उसे बिस्तर पर गिराया और गला दबाया जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर उसने मृतका के शव को बिस्तर की चादर से ढँक दिया, अपने खून से सने शर्ट को कमरे में टाँग दिया और हथौड़ा गैलरी में छिपा दिया। अगले दिन अर्थात् 15.06.2000 को सुबह अपीलार्थी स्वयं रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गया और रास्ते में धर्मेन्द्र राठौड़, सहसराम पटेल एवं संतोषराम पटेल को मिला, जिनके समक्ष उसने अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति की तथा उनके साथ जाकर थाना कुसमुंडा में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी./28) दर्ज कराई। उक्त घटना के समय अपीलार्थी के दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली पर भी चोट आई थी। विवेचना अधिकारी घटना स्थल कि ओर रवाना हुए, पंचनामा (प्र.पी./1) तैयार किया, मृत्युसमीक्षा कर मृतका के शव का पंचनामा (प्र.पी./2) एवं स्थल का नक्शा (प्र.पी./3) बनाया। अपीलार्थी जो कि थाने में उपस्थित था, को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया (प्र.पी./13A)। उसका चिकित्सीय परीक्षण डॉ. ए.एन. कुँवर (अभि.सा.7) द्वारा (प्र.पी./13) द्वारा किया गया और उसके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली पर 1 से.मी. × 1 से.मी. का घाव पाया। मृतका लक्ष्मीन बाई के शव का शव परीक्षण (प्र.पी./29) डॉ. ए.डी. पुरैना (अभि.सा.16) द्वारा संपादित करने के लिए बिस्तारा अस्पताल, कोरबा में भेजा गया। मृतका लक्ष्मीन बाई के शरीर पर निम्नलिखित चोटे पाई गई:—

i) बाएँ भौंह के ऊपर 2×2 से.मी. का चीरा घाव,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii) नाक पर 4×1/2 से.मी. का चीरा घाव,

iii) बाएँ कनपटी पर 6×3 से.मी. का चीरा घाव, जिसमें हड्डी टूटी हुई दिखाई दी,

iv) दाएँ गाल पर सूजन एवं जबड़े की अनेक हड्डियाँ टूटी हुई,

v) पेट पर 10×10 से.मी. की सूजन,

vi) गले पर खून के धब्बों सहित दबाव से बनी चोट,

vii) माथे, बाएँ पार्श्व एवं नाक की हड्डी टूटी हुई पाई गई। पाँचवीं और छठी पसली भी टूटी थी तथा यकृत फटा हुआ था।

मृत्यु का कारण आघातजन्य स्थिति से उत्पन्न हुई, जो घातक पूर्वमृत्यु चोटों के कारण हुई थी। मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

4. घटना स्थल से कपड़े (प्र.पी./4), रक्तरंजित मिट्टी एवं सादी मिट्टी (प्र.पी./5) जब्त की गई। मृतका द्वारा लिखे गए पाँच पत्र प्र.पी./6, पत्र प्र.पी./8, प्र.पी./9, प्र.पी./10, प्र.पी./11 एवं अन्य पत्र प्र.पी./12, (प्र.पी./7) जब्त किया गया। अपीलार्थी को 15.06.2000 को रिपोर्ट देने के पश्चात हिरासत में लिया गया। उसके प्रकटीकरण कथन (प्र.पी./15) के तहत् हथौड़ा और खून से सनी शर्ट के बारे में बताया। पुलिस जब अपीलार्थी को उसके घर ले गई तब उसने बरामदे से खून से सना हुआ हथौड़ा और खून से सनी शर्ट घर से निकाला, जो पुलिस ने जप्त की (प्र.पी./16)। व्यक्तिगत तलाशी में झुमके की एक जोड़ी, टूटी मंगलसूत्र की माला और लॉकेट बरामद (प्र.पी./17) किए गए। अभियुक्त की गिरफ्तारी (प्र.पी./18), स्थल नक्शा (प्र.पी./20) विवेचना अधिकारी द्वारा तैयार किया गया। मृतका द्वारा लिखे अन्य पत्र (प्र.पी./22, 23) जब्त किए गए। मृतका के फोटो लिए गए। शव परीक्षण के बाद मृतका के कपड़े (प्र.पी./34) जब्त किए गए। हथौड़े को परीक्षण हेतु डॉ. ए.बी. पुरैना (अभि.सा.16) को भेजा गया, जिन्होंने हथौड़े का परीक्षण (प्र.पी./36) द्वारा किया। जब्त वस्तुओ को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया(प्र.पी./31), जिसमें अभियुक्त से जप्त हथौड़े में रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई (प्र.पी./32) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. सभी साक्षियों के कथन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप मे 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत लिए गए। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम

श्रेणी, कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण सत्र न्यायालय, बिलासपुर को भेजा, जहाँ से यह षष्ठम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचारण हेतु स्थानांतरित हुआ।

6. अभियोजन ने अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने हेतु कुल 18 साक्षीयो का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने सभी आरोपों से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया एवं प्रश्नाधीन अपराध में झूठा फँसाये जाने का दावा किया।

7. दोनों पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद षष्ठम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषीसिद्ध करते हुए उपर्युक्त दंडादेश पारित किया।

8. हमने श्री बी.एन.नंदे, अपीलार्थी के अधिवक्ता तथा श्री आशीष शुक्ला, राज्य के शासकीय अधिवक्ता को सुना, आक्षेपित निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि अभियोजन ने कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थी ने प्रश्नाधीन अपराध कारित की है। केवल इस आधार पर कि मृतका उसकी पत्नी थी, उसे दोषी ठहराना विधिसम्मत नहीं है। पत्रों से यह तो स्पष्ट है कि पति-पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, किंतु मात्र पत्रों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें स्वयं अपीलार्थी ने घटना की प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को घातक चोटें पहुँचाई।

11. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को के विवेचन के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, मृतका लक्ष्मीन बाई की मानववध पूर्वमृत्यु घातक चोटों के कारण हुई, इसे अपीलार्थी ने भी खारिज नहीं किया है,

इसके विपरीत डॉ. ए.बी. पुरैना (अभि.सा.16) एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.पी./35) इस तथ्य की पुष्टि करते है, जिससे पता चलता है कि, मृतका लक्ष्मीन बाई के शरीर पर सात घातक चोटें पाई गईं, जिनमें माथे, पार्श्विका और नाक की हड्डी का फ्रैक्चर और यकृत का फटा हुआ होने शामिल है। मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

12. जहां तक प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का प्रश्न है, दोष सिद्धि निम्न परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है —

i) अपीलार्थी का अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध नहीं थे,

ii) अपीलार्थी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था,

iii) घटना के दिन, अपीलार्थी मृतका के साथ घर में उपस्थित था,

iv) मृतका की मृत्यु मृत्युपूर्व घातक चोटों से हुई,

v) अपीलार्थी ने स्वयं घटना की सूचना दी,

vi) अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने गवाहों के समक्ष की,

vii) अपीलार्थी ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, और किसने उसे घातक चोटें पहुचाईं।

viii) अपीलार्थी के अतिरिक्त न्यायिक कथन साक्ष्य अधिनियम धारा 27 से हथौड़ा और खून से सनी शर्ट बरामद की गई,

ix) खून से सना हथौड़ा अपीलार्थी की गैलरी में छिपाया गया था, उसके निशानदेही पर हथौड़ा जब्त हुआ।

x) खून से सनी शर्ट और हथौड़ा अभियुक्त/अपीलार्थी से जप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहां तक अपीलार्थी के अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति का संबंध है, आर.पी. पराशर (अभि.सा.1) एवं रामकुमार (अभि.सा.1) ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, परंतु उन्होंने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया कि उक्त अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति के समय पुलिस भी उपस्थित थी। अतः यह कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 26 एवं 27 की प्रावधानों से प्रभावित होता है और साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। अभियोजन के अन्य साक्षी—धर्मेन्द्र राठौर (अभि.सा.-9), सहसराम पटेल (अभि.सा.10) एवं संतोषराम (अभि.सा.11)—ने भी अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति के संबंध में अभियोजन के प्रकरण

का समर्थन नहीं किया एवं अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में भी अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति के समर्थन में कोई कथन नहीं किया। अभियोजन ने सूरज (अभि.सा.14), जो अपीलार्थी एवं मृतका का 6 वर्ष का बालक है, को बाल गवाह के रूप में प्रस्तुत किया। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि पिता अपीलार्थी ने उसकी मां पर हथौड़े से प्रहार किया तथा घटना के समय पिता अपीलार्थी अर्थात नवाधर उसकी दादी, उसकी मां, वह स्वयं, उसका भाई दीपक एवं बहन दिव्या सभी उपस्थित थे। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से विस्तार में प्रतिपरीक्षण की है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में, उसने कहा कि उसने पुलिस को घटना सुनाई है कि उसने घटना देखी है तथा उसकी मां दर्द से तड़प रही थी; किंतु उसका यह कथन धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत उसके बयान प्र.अ/3 में दर्ज नहीं है। प्र.अ/3 से स्पष्ट है कि उसने घटना नहीं देखी, बल्कि केवल अपने माता-पिता के बीच झगड़ा सुना, जब वह सटे हुए कमरे में अपनी दादी, भाई तथा बहन के साथ सो रहा था। यद्यपि उसने अपने मुख्य साक्ष्य में कहा कि उसने घटना देखी, परंतु धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज उसके कथन से यह स्थापित होता है कि उसने केवल अपने माता-पिता के बीच झगड़े की आवाजें सुनीं और तत्पश्चात वह अपने पिता कमरे से निकलकर अपनी दादी के कमरे में चला गया। इससे यह पता चलता है कि वह केवल प्रारंभिक झगड़े का ही साक्षी है। अतः इस गवाह की गवाही इस सीमा तक विश्वसनीय नहीं है कि अपीलार्थी ने वास्तव में उसकी मां पर हथौड़े से प्रहार किया, परंतु इस सीमा तक विश्वसनीय है कि रात्रि में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ अर्थात् घटना के समय अपीलार्थी तथा उसकी पत्नी अपने कमरे में उपस्थित थे तथा अगले दिन प्रातः मृतका (उसकी मां) घायल अवस्था में मृत पाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विवेचना अधिकारी एस.एस. राजपूत (अभि.सा.15) ने कहा कि अपीलार्थी स्वयं थाना आया और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी./28) दर्ज कराई तथा प्रकटीकरण कथन (प्र.पी./15) पर वह अपीलार्थी एवं गवाहों के साथ उसके घर गया, जहाँ से अपीलार्थी ने हथौड़ा एवं शर्ट बरामद कराए, जिन्हें (प्र.पी./16)के तहत ज़ब्त किया। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका 5 में यह भी कहा कि उन्होंने अपीलार्थी की तलाशी ली, जिसमें झुमके, टूटी मंगलसूत्र और लॉकेट जब्त किए गए (प्र.पी./17)। प्रतिपरीक्षण मे बचाव पक्ष ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन या अपीलार्थी द्वारा दर्ज संस्वीकृति कथन के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया। प्र.पी./28 तथा प्र.पी./15 अपीलार्थी द्वारा किए गए

संस्वीकृति से संबंधित दस्तावेज़ हैं। अपीलार्थी ने ही (प्र.पी./28) प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की, जिससे यह पता चलता है कि घटना की रात अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी कमरे में साथ थे और पत्नी की मृत्युपूर्व घातक चोटों से हुई। संस्वीकृति से संबंधित भाग को छोड़कर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन का शेष भाग स्वीकार्य साक्ष्य है। एस.एस. राजपूत (अभि.सा.15) ने यह भी विशेष रूप से कहा है कि अपील अपीलार्थी ने वही हथौड़ा प्रस्तुत किया था जिसे उसने बरामदे में छिपाया था तथा वही शर्ट प्रस्तुत की थी। हथौड़ा एवं शर्ट को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया और न्यायिकविज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन (प्र.पी./32) से हथौड़े एवं शर्ट पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई है।

15. एस.एस. राजपूत (अभि.सा.15), अपीलार्थी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी./28) एवं सुरज (अभि.सा.14)), जो मृतका एवं अपीलार्थी का पुत्र है, के साक्ष्य—इन सबके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 14 और 15.6.2000 की मध्यरात्रि में अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ उसी कमरे में उपस्थित था और मृतका को प्राणघातक चोटों के कारण मृत पाया गया। हथौड़ा बरामदे में छिपाया गया था और अपीलार्थी के निशानदेही पर ही बरामद हुआ। अपीलार्थी यह नहीं बता सका कि मृतका को चोटें किसने पहुंचाईं और उसकी मृत्यु कैसे हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान मामले में, अपराध गोपनीय परिस्थितियों में किया गया, जहाँ अपीलार्थी उपस्थित था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत यह अपीलार्थी का दायित्व था कि वह बताए कि मृतका को चोटें कैसे लगीं और उसकी मृत्यु कैसे हुई। अपीलकर्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देना उसके विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में माना जाता है।

17. ***पदाला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य***[1] के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, तो साक्ष्य को निम्न कसौटियों पर परखा जाना चाहिए—

(1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे अभियुक्त की दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, स्पष्ट, ठोस एवं दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए;

---

[1] एआइआर 1990 एससी 79

(2) वे परिस्थितियाँ ऐसी प्रकृति की हों जिनका स्पष्ट एवं निश्चित झुकाव अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर हो तथा वह किसी अन्य दिशा में न ले जाती हों;

(3) समस्त परिस्थितियाँ, सामूहिक रूप से, ऐसी पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करें, जिससे यह निष्कर्ष अपरिहार्य रूप से निकले कि मानव स्वभाव एवं सामान्य संभावना की दृष्टि से अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं; और

(4) दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना पूर्ण एवं अन्य किसी भी संभावित परिकल्पना से असंगत हो कि अभियुक्त के निर्दोष होने की कोई अन्य युक्तिसंगत संभावना शेष न रहे। साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि से संगत हो तथा उसकी निर्दोषता से असंगत हो।

18. उपर्युक्त साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों को सिद्ध किया है-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) घटना के समय अपीलार्थी एवं मृतका को एक ही कमरे में पाया गया तथा मृतका की मृत्यु गंभीर/प्राणघातक चोटों के कारण हुई;

(ii) अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मृतका को चोटें कैसे लगीं तथा उसकी मृत्यु कैसे हुई।

यदि उपर्युक्त परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाए, तो अपीलार्थी की दोषसिद्धि के अतिरिक्त कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं रह जाती। अपीलार्थी की निर्दोषता की कोई वैकल्पिक संभावना उभरती नहीं है।

19. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचना के बाद, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹2000/- के अर्थदंड से दंडित किया, तथा अर्थदंड न देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया।

20. साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण पर हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या अवैधानिकता नहीं मिली। अतः अपील सारहीन है, यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल.झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur